:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल RAS.
मुकदमा नम्बर ...../.....

जशोदा पुत्री पुजा जाति भील मीना उम्र बालीग निवासी बेडसा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

---प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

---अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने।

उपस्थित :-

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 15/05/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव आदर्शगॉव कें जमाबन्दी खाता सख्या 37 के खसरा 15, 19, का रकवा कमशः 0.4452 हैक्टेयर एवं 0.6880 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 1.1332 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है तथा खातेदार नानी का 1/2 हिस्सा है नानी प्रार्थीया की रिश्तेदार है जिसको पत्थरगढी से कोई आपत्ति नहीं है, बिन्दू संख्या 1 में वर्णित आराजी के संवंध में अन्य किसी व्यक्ति का कोई संवंध नहीं है फिर भी मौके पर अकारण विवाद जयन्तिलाल पुत्र नानजी रोत निवासी आदर्शगॉव की ओर से किया जाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिचार करने आमदा हो जाता है। कि प्रार्थी की उक्त आराजी की सीमा को लेकर पडौसियो में विवाद हो रहा है, जिसके स्थाई निराकरण हेतु पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पत्थरगढी कर, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह के साथ में पत्थरगढी की जानी आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को तलब किया गया, विपक्षी का जवाव हुआ है।

प्रार्थी द्वारा पूर्व में पेमाईश के संवंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है, ऐसे में प्रार्थी द्वारा पेमाईश करवाने की शर्त का पालन करने के पश्चात् प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगढी करने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

अतः तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि अगर प्रार्थी विधिवत् रूप से निर्धारित राशि जमा करवाकर पैमाईश की कार्यवाही करवाता है तो प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव आदर्शगॉव खाता संख्या 37 के खसरा संख्या 15 एवं 19 का रकबा कमशः 0.4452 हैक्टेयर एवं 0.6880 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.1332 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगा कर करने के आदेश दिए किए जाते है, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा थानाधिकारी धम्बोला को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा